श्री भक्त दर्शन : जब कि राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त प्रत्येक जिले में जिला सूचना अधिकारी काम कर रहे हैं तब इस बात की क्या आवश्यकता है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से अलग मैशीनरी प्रारम्भ की जाए?

डा० केसकर : जब इस सम्बन्ध में पिछले साल संसद् में बहस हुई थी तब यह बताया गया था कि राज्य सरकारें पंच वर्षीय योजना के बारे में जो कुछ थोड़ा बहुत प्रचार करती हैं वह प्रचार केवल अपनी स्थानिक दृष्टि से होता है या संकुचित दृष्टि से होता है। देश भर के क्या कार्यक्रम हैं और किस दिशा में हम जाना चाहते हैं, यह उनके कार्यक्रमों में नहीं आता। इसलिये सोचा यह गया कि केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों मिल कर ऐसा कार्यक्रम बनावें कि पंच वर्षीय योजना का पूरा रूप सब प्रान्तों के लोगों के सामने आवे।

Shri Bhagwat Jha Azad: May I know when this office was opened and whether it has been opened to popularise the First Five Year Plan or the Second Five Year Plan?

Dr. Keskar: Both.

मध्य भारत में हाथकरघा उद्योग

*२२७३. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में मध्य भारत में हाथकरघा उद्योग के विकास के लिये वहां की सरकार द्वारा यदि कोई योजनायें भेजी गई हों, तो उनका स्वरूप क्या है ;

(ख) सरकार द्वारा कौनसी योजनायें स्वीकृत की गई हैं ; और

(ग) ऐसी योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य भारत सरकार को कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो): (क) से (ग). सभा पटल पर उन योजनाओं का एक विवरण रखा जाता है जिनके लिए १९५३-५४ और १९५४-५५ के सम्बन्ध में अनुदान और ऋण मांगे गये थे और राशियां स्वीकृत की गई थीं। [देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४६.]

चम्बल बांध

*२२७४. **श्री आर० सी० शर्मा :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चम्बल बांध के निर्माण के लिये भारत सरकार द्वारा अभी तक मध्य भारत और राजस्थान सरकारों को अलग अलग कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): चम्बल बांध योजना के लिये मध्य भारत सरकार को ६० लाख रुपये और राजस्थान सरकार को ४० लाख रुपये का ऋण दिया गया है।

श्री आर० सी० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि इस बांध के पूरा होने तक केन्द्रीय सरकार की सहायता का क्या अंश होगा और राज्य सरकारों का पृथक पृथक क्या अंश होगा ?

Shri Hathi: I have not followed the last portion of the question.

अध्यक्ष महोदय : राज्य सरकारों का पृथक पृथक क्या अंश होगा।

श्री हाथी : राज्य सरकारों का क्या अंश होगा इस के बारे में कुछ तय नहीं हुआ है।

श्री आर० सी० शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक राज्य सरकारों ने इस बांध पर कितना रुपया अलग अलग खर्च किया है ?

श्री हाथी : मध्य भारत सरकार ने १७६.[illegible] लाख और राजस्थान सरकार ने ६८.१६ लाख।

श्री हेडा : क्या मैं जान सकता हूं कि सन् १९५४-५५ के लिये जो खर्च का लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह पूरा कर लिया गया है या नहीं ?

श्री हाथी : खर्च का लक्ष्य पूरा नहीं किया गया है ।

Dr. Rama Rao: From the reply given by the hon. Minister, am I to understand that there is no Central Board to administer these multi-State projects?

Shri Hathi: There is no one Board—one Central Board—for all these projects but there are such Boards for individual projects.

REQUISITIONED PRIVATE PREMISES

*2277. **Shri S. C. Samanta:** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) the number of private premises requisitioned by Government in Delhi in 1954-55;

(b) the manner in which these requisitioned buildings are being used at present;

(c) whether any of the premises requisitioned in the years from 1947 to 1953 has been leased out; and

(d) the number of princes' houses requisitioned so far in Delhi?

The Minister of Works, Housing and Supply (Sardar Swaran Singh): (a) Fifteen.

(b) For providing office accommodation to Government offices, Embassies and Foreign Missions, International Organisations, Public Institutions sponsored by Government and for residential accommodation of Government servants.

(c) Yes, Sir; fifteen premises have been leased out to Embassies and Foreign Missions and International Organisations.

(d) Five.

Shri S. C. Samanta: May I know how long it will take to release the requisitioned houses where government servants are living?

Sardar Swaran Singh: Efforts are being made to de-requisition the houses which are occupied by government servants as their residences and preference in such cases is given to smaller houses so that these house-owners may not be put to any inconvenience.

Shri S. C. Samanta: May I know whether offers of sale have come from any of the requisitioned houses, and if so, whether Government is going to buy them?

Sardar Swaran Singh: I do not think any offer of sale has come with regard to smaller houses, but it is a fact that owners of some of these bigger houses—some of the princes—have made offers to sell and each case is examined on its merits.

Shri N. B. Chowdhury: May I know the terms on which the princes' houses have been requisitioned?

Sardar Swaran Singh: The terms are settled by the Act itself. Once we requisition the house, there is a provision under the Act as to what should be the rent and the parties can go up even in appeal.

विस्थापित व्यक्तियों के लिये रोजगार

*२२७८. श्री भागवत झा आजाद : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली के दक्षिण भाग की बस्तियों में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये कोई कड़ा कारखाना खोलने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कहां खोला जायगा , और

(ग) उसमें कितने विस्थापित व्यक्तियों को काम मिल सकेगा ?